

राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण

बिहार, पटना

आर ब्लॉक रोड नं 2 दारोगा प्र० राय पथ, पटना- 800001, दूरभास : 2506394, 2506395 (फैक्स)

पत्रांक ७७५

दिनांक ३०.७.२०१५

प्रेषक,

OSD(HLC)

विद्यु भुषण पाठक
(जिला एवं सत्र व्यायाधीश)
निवासनक

सेवा में,

सचिव,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

सामान्य प्रशासन विभाग।

प्राप्ति
४९८८ (१) ८३३

३० JUL 2015

रम०

विषय :- संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण हेतु सूचनाओं का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव - सह- सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 002 दिनांक - 19.05.2015 के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण पर विचारण हेतु राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना में संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक के सम्बद्ध में सूचना निम्नवत् है :-

१०११८
४८७९
३१/७/१५
क्षीभुलूल
५-८-१५

१	प्रत्येक पद जिस नियोजन किया गया है, का पदनाम	कार्यपालक सहायक (श्री अविनाश कुमार)
२	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	०१ (एक)
३	किस योजना/ परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया नाम था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी।	बिहार प्रशान्निक सुधार मिशन सोसाइटी, 2009 द्वारा में वित संपोषित परियोजना तथा 2014 में बिहार सरकार का सर्पेट युनिट योजना।
४	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ख' 'ग' या 'घ')	पद श्रेणी -ग
५	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/ पद सूजन आदेश	हाँ (अविनाश कुमार बैच कर्लक के पद के विरुद्ध पेशकारी कार्य कर रहे हैं)
६	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं	हाँ
७	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/ नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय)	प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1796 दिनांक-04-03-2011 एवं पत्रांक-226 दिनांक-12-01-2012, बिहार प्रशान्निक

		<p>सुधार मिशन सोसाइटी का विज्ञापन ,जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक—2403 दिनांक 27—08—2012 के द्वारा इनकी सेवा राज्य आयोग को उपलब्ध करायी गयी ।</p> <p>अवधि विस्तारः—1:-जिला पदाधिकारी के पत्रांक—3474 दिनांक—03—10—2013 द्वारा अगले एक वर्ष के लिए 2:- जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक—2683 दिनांक—07—10—2014 द्वारा 23—09—2014 से 22—09—2015 तक के लिए ।(छाया प्रति संलग्न)</p>
--	--	--

8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	लिखित एवं टंकण साक्षात्कार
9	पदवार निर्धारित चूनतम अहर्ता	मैट्रिक,सी० आई० सी० (ये स्नातक पास हैं)
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं	हाँ,(अहर्ता का निर्धारण जिला पदाधिकारी,पटना द्वारा किया गया है)
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	हाँ(जिला पदाधिकारी,पटना सक्षम पदाधिकारी हैं)
12	नियोजन हेतु नियुक्ति / नियोजन पदाधिकारी।	जिलाधिकारी,पटना
13	उपर्युक्त नियुक्ति / नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	हाँ(जिला पदाधिकारी,पटना से संबंधित है)
14	नियोजन पत्र / अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	संलग्न
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	एक वर्ष
16	प्रत्येक सेवाधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	विभागीय कार्य की आवश्यकता को देखकर एवं कार्य संतोषप्रद होना ।
17	प्रत्येक सेवाधि विस्तार आदेश का नमूना।	संलग्न(पत्रांक—3474 दिनांक—03—10—2013 एवं पत्रांक—2683 / स्था० दिनांक—07—10—2014 की छाया प्रति)
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/ पारिश्रमिक/वेतन/ब्वदेवसपकंजमक च्ल इत्यादी की भुगतेय राशि।	रु० ९०००/- (नौ हजार रुपये प्रतिमाह)
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें मद।

20 जिस नियमावली / संकल्प / परिपत्र के अन्तर्गत इन पदों पत्रांक—2401 दिनांक—18-07-2007 की का नियोजन की प्रक्रिया हुई. उनकी छायाप्रति (पूल एवं छायाप्रति सभी संशोधनों के साथ)।

अनु—यथोक्त

विश्वासमाजन,

₹0/-


निबंधक

राज्य आयोग

इषांक ७७५

दिनांक ३०-७-१५

मतिलिपि अनु के साथ प्रधान सचिव — सह— सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक — ००२ दिनांक — १९.०५.२०१५ के प्रसंग में तथा जिला पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


निबंधक १५/७/१५
राज्य आयोग

**झापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।